S.No- 57
11/1/12

NOTARIAL
Tarsem Singh
Distt. Haridwar
Regd. No.
30(05)2006
NOTARY Govt. of U.K.
नोटरी उत्तराखण्ड सरकार

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

.........26 रानीपुर.........(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.........विधानसभा.........(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिर्टनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

मैं, ...सुशील चन्द थपलियाल.........पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. महादेव प्रसाद ....आयु.........65.........वर्ष, ...जो 7-33 शिवालिक नगर, B.H.E.L रानीपुर, हरिद्वार का/की निवासी हू और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:–

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

   (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):– वाद सं- 2367/07 मु.अ.सं.- 201/01 धारा 420, 406 IPC में मुख्य न्यायाधीश हरिद्वार के पत्रांक दि- 1-12-10 को दोष मुक्त हुआ।

   (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.........201/01

   (ii) पुलिस थाना (थाने) कोo हरिद्वार.........जिला (जिले).........हरिद्वार.........राज्य उत्तराखण्ड (दोष मुक्त)

   (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.........420, 406 IPC. .... (दोष मुक्त).........

   (iv) न्यायालय , जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.........C.J.M हरिद्वार ....(दोष मुक्त)

   (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे.........12-4-2002.........

   (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.........नहीं...

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :–

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं........N/A........

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है........N/A........

(iii) पुलिस थाना (थाने)........N/A........जिला (जिलें) ....

........N/A........राज्य........N/A........

....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है........N/A........

....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे........N/A........

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं........

........N/A........

स्थान ....

तारीख 11/01/2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

IDENTIFIED BY
YOGESH K. DARGAN
ADVOCATE
DISTT. & SESSION COURT
ROSHNABAD, HARIDWAR

ATTESTED
11 JAN 2012
TARSEM SINGH/तरसेम सिंह
Advocate/एडवोकेट
Notary/नोटरी
Govt. of U.K./उत्तराखण्ड सरकार

NOTARY Govt. of U.K.
Tarsem Singh
H.O. Haridwar
Distt. Haridwar
नोटरी उत्तराखण्ड सरकार

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

........हरिद्वार........स्थान पर आज तारीख....11-1-12........को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नही हैं, काट दिये जायें।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 371864

S.No- 57
11/1/12

NOTARY Govt. of U.K.
Tarsem Singh
H.O Haridwar
Distt. Haridwar
Regd No.
30(05)2006
नोटरी उत्तराखण्ड सरकार